प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।

विविध अपील क्रमांक 3/2006

अपीलकर्ता : ओरिएंटल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

प्रतिवादी : मेडियामी मैगंडू एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय दिनांकित : 17-07-2007 के लिए सूचीबध्द

हस्ताक्षरित/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।

विविध अपील क्रमांक 3/2006

-

अपीलकर्ता :

बीमाकर्ता

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुख्य सड़क, जगदलपुर (द्वारा: मंडल प्रबंधक, मंडल कार्यालय, हाईकोर्ट के सामने, बिलासपुर)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी :

1. मेडियानु मैगंडू, पिता कोसा गोंड, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी – ग्राम मुंगापारा, कोर्रा, निवासी – गादीरास, तहसील व जिला – दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़

वाहन चालक :

2. चंद्र बोस, पिता बालसिंह महारा, उम्र 19 वर्ष, निवासी –

ग्राम कोर्रा, थाना – गदेरास, जिला – दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

मालिक :

3. एन. एल. बिंद्रा, पिता – जोधराज बिंद्रा, उम्र – 60 वर्ष, निवासी – पटनमपारा, सुकमा, जिला – दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री अभिषेक सिंह, के साथ श्री घनश्याम पटेल – अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

<u>निर्णय</u>

धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश।

आवेदक - बीमाकर्ता यह अपील उस निर्णय के विरुद्ध दायर की है, जो दिनांक 5 अक्टूबर 2005 को दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा की माननीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा, दावा प्रकरण क्रमांक 44/2005 में पारित

किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 2 और 3 को सम्मिलित रूप से तथा पृथक-पृथक ₹1,90,000/- के पुरस्कार को दिनांक 24-12-2003 से 7.5% वार्षिक ब्याज दर सहित अदा करने हेतु उत्तरदायी ठहराया गया, जो कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 – याचिकाकर्ता (दावाकर्ता) के पक्ष में पारित किया गया था।

2. दावा याचिका दाखिल करने के पीछे संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 29-06-2003 को दावाकर्ता अपनी साइकिल से अपने गाँव लौट रहा था, तभी जीप क्रमांक छत्तीसगढ़ 18/**T**.0118 जो कि प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की स्वामित्व वाली थी, और प्रत्यर्थी क्रमांक 2 द्वारा चलाई जा रही थी तथा अपीलकर्ता द्वारा बीमित थी, ने पीछे से आकर साइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दावाकर्ता के बाएं पैर, बाएं और दाएं कंधे पर गंभीर चोटें आईं और वह स्थायी रूप से विकलांग हो गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वाहन के मालिक और चालक ने अपने संयुक्त लिखित बयान में दावा याचिका के सभी आरोपों का खंडन किया और वैकल्पिक रूप से यह तथ्य

प्रस्तुत किया कि उक्त वाहन उस अवधि के लिए अपीलकर्ता द्वारा बीमित था, अतः यदि कोई मुआवजा देय होता है तो वह अपीलकर्ता - बीमाकर्ता द्वारा देय होगा।

अपीलकर्ता - बीमाकर्ता ने विशेष रूप से यह प्रतिरक्षा ली कि दुर्घटना के समय जीप का चालक – प्रत्यर्थी क्रमांक 2 – वैध और प्रभावशील ड्राइविंग लाइसेंस धारक नहीं था तथा वाहन का संचालन बीमा नीति की शर्तों के उल्लंघन में किया जा रहा था, अतः अपीलकर्ता को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी न ठहराया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिकरण ने आक्षेपित अधिनिर्णय (एवॉर्ड) इस निष्कर्ष के साथ पारित किया कि दुर्घटना प्रत्यर्थी क्रमांक 2 द्वारा उपेक्षापूर्ण एवं उतावालपूर्वक से वाहन चलाने के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप दावाकर्ता को गंभीर चोटें आईं और वह विकलांग हो गया, तथा यह भी पाया गया कि वाहन का संचालन बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए नहीं किया गया था। इसलिए बीमा कंपनी भी मुआवजे की राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी है।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि यद्यपि चालक और वाहन स्वामी ने अपने संयुक्त उत्तर के पैरा 8 में यह कहा है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के पास वैध और प्रभावशील ड्राइविंग लाइसेंस था तथा वाहन परमिट की शर्तों के अनुसार चलाया जा रहा था, लेकिन इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और यहां तक कि बीमा पॉलिसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। दावाकर्ता ने आरोप पत्र, एफ.आई.आर. और प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के विरुद्ध आपराधिक मामले से संबंधित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए और उन्हें सिद्ध भी किया। आरोप पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के विरुद्ध धारा 279, 337 और 338, तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 181 सहपठित धारा 3 के अंतर्गत अभियोजन चलाया गया क्योंकि दुर्घटना के समय प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के पास वैध और प्रभावशील ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता ने दिनांक 26-09-2005 को अधिकरण के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 11 नियम 14 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्रमांक 2 और 3 को निर्देश दिया जाए कि वे प्रत्यर्थी क्रमांक 2 का मूल ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करें। प्रत्यर्थी ने इस आवेदन का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया, हालांकि अधिकरण ने यह टिप्पणी करते हुए आवेदन का निपटान कर दिया कि जैसा कि प्रत्येक पक्ष की जिम्मेदारी है कि वे स्वयं अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें, अतः निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होनें आगे कहा की, अपीलकर्ता ने शाखा प्रबंधक शैलेन्द्र कुमार को अपने गवाह के रूप में परीक्षण किया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह बयान दिया कि दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वैध और प्रभावशील ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए बीमा कंपनी के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालांकि, प्रतिपरीक्षा में वाहन के चालक और मालिक की ओर से यह सुझाव नहीं दिया गया कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। फिर भी, अधिकरण ने इस संबंध में अपीलकर्ता की आपत्ति को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि यह बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह यह सिद्ध करे कि चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था और बीमा कंपनी ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के किसी भी कर्मचारी को परीक्षण यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साबित किया जा सके कि चालक के पास लाइसेंस नहीं था।

इस पर अपीलकर्ता ने (2004) 3 **SCC** 297 में **प्रकाशित राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह एवं अन्य** में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अवलंब लिया है ।

प्रत्यर्थीगण को विधिवत नोटिस तामील किया गया । प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और 3 की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया, किंतु जब प्रकरण पुकारा गया, तब प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मैंने अपीलकर्ता के अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।

अपीलकर्ता द्वारा केवल एक आधार उठाया गया है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक – प्रत्यर्थी क्रमांक 2 – के पास दुर्घटना के समय वैध और प्रभावशील ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। यह नकारात्मक दायित्व बीमाकर्ता द्वारा निर्वहन किया जा चुका है, क्योंकि अपीलकर्ता ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि चालक के पास वैध और प्रभावी लाइसेंस नहीं था।

दावाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ जैसे आरोप पत्र, ज़ब्ती पत्रक, और आपराधिक

मामले से संबंधित अन्य दस्तावेज़ यह स्पष्ट दर्शाते हैं कि प्रत्यर्थीगण ने जांच के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया और इसीलिए अन्य अपराधों के साथ-साथ प्रत्यर्थी क्रमांक 2 पर मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 181 सहपठित धारा 3 के अंतर्गत अभियोजन भी किया गया, अभिवाक किया गया वैध एवं प्रभावशील ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलान के लिये। बीमाकर्ता ने अधिकरण के समक्ष एक आवेदन भी प्रस्तुत किया था जिसमें वाहन मालिक और चालक को निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी कि वे मूल ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करें। इस आवेदन का कोई उत्तर प्रत्यर्थी द्वारा नहीं दिया गया और आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात भी उन्होंने लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हालांकि अधिकरण ने यह कहते हुए आवेदन इस टिप्पणी के साथ खारिच कर दिया कि प्रत्येक पक्ष को अपने पक्ष में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की स्वयं जिम्मेदारी होती है। यह भी बताया गया कि बीमाकर्ता की ओर से प्रस्तुत गवाह ने शपथपूर्वक बयान दिया कि प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। प्रत्यर्थी क्रमांक 2 और 3 द्वारा उस गवाह से प्रति

परीक्षा की गई, किंतु उस गवाह को यह सुझाव नहीं दिया गया कि चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस था।

इन परिस्थितियों में, बीमाकर्ता ने यह प्राथमिक दायित्व सिद्ध कर दिया है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

स्वर्ण सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में अनुच्छेद 69 एवं 70 में यह अभिनिर्धारित किया गया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(न्यायिक उद्धरण का अगला भाग दिया जाएगा, यदि आप चाहें तो मैं उसका भी अनुवाद कर सकता हूँ)।

69 यह विधि का प्रस्ताव अब अनिर्णीत नहीं रह गया है कि जो व्यक्ति उल्लंघन का आरोप लगाता है, उसे ही उसका प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। अतः बीमा कंपनी पर यह दायित्व है कि वह कथित उल्लंघन को ठोस साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध करे। यदि बीमा कंपनी यह सिद्ध करने में विफल रहती है कि बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसी की

शर्तों का उल्लंघन किया गया है, तो बीमाकर्ता अपनी देयता से मुक्त नहीं हो सकती।

70. उपरोक्त के अतिरिक्त, हम यह निर्धारित नहीं करना चाहते कि उल्लिखित आवश्यकता को पूरा करने के लिए किस स्तर का प्रमाण पर्याप्त होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यह बीमा अनुबंध की शर्तों पर भी निर्भर करेगा। प्रत्येक मामला एक भिन्न समस्या प्रस्तुत कर सकता है, जिसे उस विशेष मामले से जुड़े कई कारकों को ध्यान में रखते हुए हल किया जाना चाहिए — जैसे कि पक्षों का आचरण, जानकारी देने की जिम्मेदारी, सही खुलासा, जानकारी को छिपाना दमन, बीमाकर्ता के साथ धोखाधड़ी आदि के संबंध मे पक्षो का आचरण शामिल है। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वाहन का मालिक कौन था और वह वाहन किन परिस्थितियों में एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था जिसके पास वैध और प्रभावशील ड्राइविंग लाइसेंस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं था। इसलिए कोई कठोर और तय नियम नहीं बनाया जा सकता। यदि किसी विशेष मामले में अभिलेख पर उपलब्ध पर्याप्त सामग्री से बीमाकर्ता या बीमित पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो अधिकरण यह निर्णय ले सकता है कि बीमा उल्लंघन का आरोप लगाने वाले पक्षकारो को बीमाकर्ता की ओर से अपने साक्षी का भार का निर्वाहन करने बीमा के शर्त का उल्लंघन करने में सफल माना जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधिकरण के अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यदि हम उपरोक्त निर्णय के अनुच्छेद 69 और 70 के आलोक में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करें, तो हमें इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता बीमाकर्ता ने यह प्राथमिक दायित्व पूरा कर दिया है कि उसने यह सि द्ध कर दिया कि प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के पास वैध और प्रभावशील ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से यह निवेदन किया था कि चालक

के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और अधिकरण से यह निर्देश दिलाने का असफल प्रयास भी किया था कि प्रत्यर्थी क्रमांक 2 और 3 मूल ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करें। हालांकि प्रत्यर्थी क्रमांक 2 और 3 की ओर से कोई भी लाइसेंस प्रस्तुत करने का निर्देश प्राप्त किया, जबकि प्रत्यर्थी क्रमांक 2 और 3 अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायाधीश के समक्ष दावा प्रकरण कर रहे थे। प्रत्यर्थीगण द्वारा यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि उनके पास वैध और प्रभावशील ड्राइविंग लाइसेंस था। अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी क्रमांक 2 और 3 को अपने गवाहों के रूप में बुलाने हेतु आदेशिका शुल्क का भुगतान किया और उनके तदनुसार लिए क्रमशः 9-8-2005 और 12-9-2005 को नोटिस भी जारी किए गए, फिर भी वे अधिकरण के समक्ष साक्ष्य देने नहीं आए। अपीलकर्ता के प्रयासों के बावजूद, प्रत्यर्थीगण ने न तो ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया और न ही कटघरे में नहीं आये। चालक के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 181 सहपठित धारा 3 के अंतर्गत बिना वैध और प्रभावशील ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के लिए अभियोजन चलाया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया था। इसलिए, एकमात्र स्पष्ट और अनिवार्य अनुमान यही लगाया जा सकता है कि चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 और 3 के आचरण को देखते हुए यह प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अतः बीमाकर्ता यह सिद्ध करने में सफल रही है कि बीमित पक्ष द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन स्थापित करने में असफलता प्राप्त की है। और इस प्रकार बीमाकर्ता ने सबूत के अपने भार का निर्वहन करते हुए व्यक्ति की ओर से पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, हमारा विचार है कि बीमित पक्ष के विरुद्ध यह प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने वह वाहन उस व्यक्ति (प्रत्यर्थी क्रमांक 2) को सौंपा जिसके पास दुर्घटना के समय वैध और प्रभावशील ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और बीमित ने बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन साबित करने में सफल रहे है।

स्वर्ण सिंह प्रकरण (उपरोक्त) के पैरा 84 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मोटर वाहन का संचालन ऐसे व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए जिसके पास वैध और प्रभावशील ड्राइविंग लाइसेंस हो। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 5 के अनुसार वाहन स्वामी की यह जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि उसका वाहन केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जाए जो अधिनियम की धारा 3 या 4 की शर्तों को पूरा करता हो। यदि वाहन चालक के पास वैध और प्रभावशील ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वाहन स्वामी ने जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति दी, तो बीमा कंपनी को अपने बचाव में सफल होने और देयता से मुक्त होने का अधिकार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता बीमाकर्ता द्वारा दायर अपील स्वीकार की जाती है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलकर्ता/बीमाकर्ता मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, और यह उत्तरदायित्व वाहन मालिक का है कि वह अभिनिर्धारित प्रतिकर राशि का

भुगतान करे। हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता/बीमाकर्ता अधिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिकर राशि को प्रत्यर्थी क्रमांक 1/दावाकर्ता को आज से दो माह के भीतर भुगतान करेगी। इसके पश्चात, बीमा कंपनी को उक्त राशि की वसूली के लिए अलग से वाद (सिविल सूट) दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी; वह संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ कर सकती है, मानो बीमाकर्ता और वाहन स्वामी के बीच का विवाद अधिकरण के समक्ष निर्धाण निधारित का विषय वस्तु और उक्त विवाद का निर्णय वाहन स्वामी के विरुद्ध और बीमाकर्ता के पक्ष में हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-

धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: Aastha Verma, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur